रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 366] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 1980/कार्तिक 30, 1902
No. 366] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 1980/KARTIKA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1980

सा० का० नि० 657(अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1950 (1950 का 30) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम सं० 11) जैसा कि वह इस समय इस अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य प्रवृत्त है, का निम्नलिखित उपांतरों के अधीन रहते हुए, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है अर्थात् :—

उपान्तर

1. धारा 1 में,—

(क) उपधारा 2 में, "हरियाणा राज्य" शब्दों के स्थान पर "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक, दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।"

2. धारा 2 में,—

(क) विद्यमान खण्ड (क) को उसके खण्ड (ख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार खण्ड को पुनः अक्षरांकित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है";

(ख) विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे; अर्थात् :—

"(ग) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 146 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 11 के

(82)

अधीन दिल्ली में अनुज्ञप्तियों को मंजूरी देने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है।

"अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे चलचित्र

(घ) अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है;";

(ग) विद्यमान खण्ड (घ) को उसके खण्ड (ङ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा।

3. धारा 3 से 7 का (दोनों को सम्मिलित करते हुए) लोप किया जाएगा।

4. धारा 7-क की उपधारा (4) में, "सरकार" शब्द के स्थान पर उन दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

5. धारा 7ख में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "प्रशासक" और "कर सकेगी" शब्दों के स्थान पर "कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 7-ग में, "दण्ड प्रक्रिया" संहिता, 1898" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दण्ड प्रक्रिया, संहिता, 1973 (1974 का 2)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

7. धारा 8 और 8-क का लोप किया जाएगा।

8. धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"9. नियम बनाने की शक्ति—प्रशासक, दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए धारा 7-क की उपधारा (4) के अधीन अपील की जा सकेगी, विहित करते हुए नियम बना सकेगा।"

9. धारा 10 और 11 का लोप किया जाएगा।

पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम सं० 11) जैसा कि वह हरियाणा राज्य में प्रवृत्त है, जैसा कि उस का दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है।

उपाबंध

पंजाब में चलचित्रों के प्रदर्शन को विनियमित करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक, दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "चलचित्र" के अंतर्गत चित्रों या चित्रावलियों का प्रदर्शन करने वाला साधित्र भी है;

(ग) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 146 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 11 के अधीन दिल्ली में अनुज्ञप्तियों की मंजूरी देने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है;";

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

* * * * * *

धारा 3 से 7 का लोप किया गया

* * * * * *

7-क. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीटों के वर्गीकरण और प्रवेश की दरों में संशोधन या परिवर्तन (1) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित चलचित्र के प्रदर्शन के लिए सीटों के वर्गीकरण और प्रवेश की दरों का पालन करेगा और उनमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना संशोधन या परिवर्तन नहीं करेगा।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की दरों में वृद्धि करना चाहता है तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसके लिए कारणों का कथन करते हुए, उस तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व, जिसको ऐसी दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, लिखित आवेदन करेगा।

(3) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की दरों में वृद्धि, चलचित्र प्रदर्शन की टिकटों के क्रेता पर अयुक्तियुक्त रूप से प्रभाव नहीं डालेगी तो, वह कारणों को अभिलिखित करके, ऐसी वृद्धि का अनुमोदन कर सकेगा :

परन्तु ऐसा अनुमोदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार से अधिक नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रशासक को अपील कर सकेगा और प्रशासक, उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

7-ख. प्रशासक की चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की दरों में संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति.—यदि प्रशासक की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करके चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की दरों में संशोधन या परिवर्तन कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी ऐसा आदेश का तदनुसार पालन करेगा।

7ग. टिकटों के पुनः विक्रय के लिए शास्ति और अपराधों का संज्ञान, (1) भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 की धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की टिकट का क्रेता द्वारा लाभ के लिए पुनः विक्रय नहीं किया जाएगा।

(2) जो कोई चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की किसी टिकट का लाभ के लिए पुनः विक्रय करेगा, वह ऐसे जुर्माने से जो दो सौ रुपए हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई अपराध उस संहिता के अर्थ में संज्ञेय माना जाएगा।

* * * * * *

(धारा 8 और 8-क—लोप किया गया)

9. नियम बनाने की शक्ति.—प्रशासक, दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए धारा

7-क की उपधारा (4) के अधीन अपील की जा सकेगी, विहित करते हुए नियम बना सकेगा ।

** ** **

(धारा 10 और 11—लोप किया गया)

[सं० यू०-11015/1/80-यू० टी० एल० (149)]
आर० वी० पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1980

G.S.R..657(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950 (30 of 1950), the Central Government hereby extends to the Union territory of Delhi, the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952 (Punjab Act No. XI of 1952), as at present in force in the State of Haryana on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In section 1,—

(a) in sub-section (2), for the words "State of Haryana", the words "Union territory of Delhi" shall be substituted;

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. In section 2,—

(a) existing clause (a) shall be re-lettered as clause (b) thereof, and before the clause as so re-lettered the following clause shall be inserted, namely :—

'(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by President under article 239 of the Constitution ;'

(b) for existing clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

'(c) "licensing authority" means the authority having power to grant licences in Delhi under section 11 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act 37 of 1952), read with section 146 of the Delhi Police Act, 1978 (Central Act 34 of 1978);

(d) "licensee" means the person to whom a licence has been granted under sub-section (2) of section 12 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act 37 of 1952);'

(c) existing clause (d) shall be re-lettered as clause (e) thereof.

3. Sections 3 to 7 (both inclusive) shall be omitted.

4. In section 7A, in sub-section (4), for the word "Government" at both the places it occurs, the word "Administrator"; and for the words "as it thinks fit", the words "as he thinks fit" shall be substituted.

5. In section 7B, for the word "Government", the word "Administrator"; and for the words "it may", the words "he may" shall be substituted.

6. In section 7C, for the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1898, the words, figures and brackets "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" shall be substituted.

7. Sections 8 and 8A shall be omitted.

8. For section 9, the following section shall be substituted, namely :—

"9. Power to make rules—The Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, make rules prescribing the time within which and the conditions subject to which an appeal under sub-section (4) of section 7A may be preferred."

9. Sections 10 and 11 shall be omitted.

ANNEXURE

THE PUNJAB CINEMAS (REGULATION) ACT, 1952 (PUNJAB ACT NO. XI OF 1952) AS IN FORCE IN THE STATE OF HARYANA AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF DELHI

An Act to make provision for regulating exhibitions by means of cinematographs in the Punjab.

It is hereby enacted as follows :—

1. Short title extent and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by President under article 239 of the Constitution;

(b) "Cinematograph" includes any apparatus for the representation of moving pictures or series of pictures;

(c) "licensing authority" means the authority having power to grant licences in Delhi under section 11 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act 37 of 1952) read with section 146 of the Delhi Police Act, 1978 (Central Act 34 of 1978);

(d) "licensee" means the person to whom a licence has been granted under sub-section (2) of section 12 of the Cinematograph Act, 1952; (Central Act 37 of 1952).

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

*** *** ***

Section 3 to 7 omitted.

*** *** ***

7A. Amendment or alteration in classification of seats and rates for admission by the licensee.—(1) The licensee shall adhere to the classification of seats and the rates for admission to the cinematograph exhibition as approved by the licensing authority and shall not amend or alter the same without the written approval of the licensing authority.

(2) If the licencsee intends to increase the rates for admission to the cinematograph exhibition, he shall make an application in writing to the licensing authority stating the reasons therefor, at least seven days before the date on which it is proposed to give effect to the increase in such rates.

(3) If the licensing authority is satisfied that the increase in the rates for admission to the cinematograph exhibition will not unreasonably affect the purchaser of the cinematograph exhibition tickets, it may, for reasons to be recorded in writing, grant the approval for such increase :

Provided that such approval shall not be granted by the licensing authority more than twice a year.

(4) Any person aggrieved by the decision of the licensing authority under sub-section (3) may, within such time as may be prescribed appeal to the Administrator and the Administrator may make such order in the case as he thinks fit.

7B. Power of Administrator to amend or alter rates for admission to cinematograph exhibition.—If the Administrator is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the

public interest, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, amend or alter the rates for admission to the cinematograph exhibition and the licensee shall comply with such order accordingly.

7C. Penalty for resale of tickets and cognizance of offences.—(1) Notwithstanding anything contained in section 56 of the Indian Easements Act, 1882, a ticket for admission to a cinematograph exhibition shall not be resold for profit by the purchaser thereof.

(2) Whoever re-sales any ticket for admission to a cinematograph exhibition for profit shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), an offence under this section shall be deemed to be cognizable within the meaning of that Code.

*** *** ***

Sections 8 and 8A—omitted.

9. Power to make rules.—The Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, make rules prescribing the time within which and the conditions subject to which an appeal under sub-section (4) of section 7A may be preferred.

*** *** ***

Sections 10 and 11—omitted.

[No. U-11015/1/80-UTL-(149)]
R. V. PILLAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980